Statement—II

Per head Allocation of Normal Assistance to Union Territories during 1989-90, 1990-9) and 1991 92

(Rupees)

Sl. No.	Union Territory	1989-90	1990-91	1991-92
1.	Andaman & Nicobar Islands	3049	3697	5889
2.	Chandigarh	797	866	1012
3.	Dadra Nagar Haveli	830	975	1614
4.	Daman & Diu	1295	1320	1698
5.	Delhi	740	955	1098
6.	Lakshadweep	4313	4519	4716
7.	Pondicherry	855	949	1153

Note: Per head allocations are based on budget estimates of Central Assistance and 1971 population.

Duplication of R & D Projects

1802. SHRI SIKANDER BAKHT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any study has been carried but to assess duplication of R&D projects being supported by various technical departments;

(b) if so, the details thereof in terms of projects, agency, amount and output;

(c) if not, by when such a study would be available; and

(d) what checks are there to avoid funding of similar R and D projects at the same institution by different technical departments and international agencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (d) The Government has made an analysis to assess duplication of R and D projects being supported by vari&us technical departments, in order to evolve an Integrated Approach to promoting R&D activities.

The support provided by various S & Tdepartments | agencies for sponsoring K&D projects is only about 5 per cent of the total resources used for S&T activities in the country. During the 7th Five Year Plan (1985-1990), these S&T agencieslorganisations had spent about Rs. 500 Crores on such R&D projects. The number of projects supported is apr proximately 5000.

The various Science & Technology departments have extramural R&D funding programmes to promote specific R&D projects according to their allocation of business. These R & D projects are processed in consultation with the other concerned technical departments wherjever necessary, to avoid duplication of efforts. In many cases, projects are transferred to the concerned technical departments. More recently, the Department of Science and Technology has also established a mechanism caller "Inter Agency Committee on Management of R&D Funding" which meets frequently to discuss the common concerns relating to R&D projects etc. of all the technical departments, with the overall objective of evolving an integrated approach to promiting R&D activities. In addition, as a part of the National Management Information System Programme, a complete data base of extramural R&D projects supported by all the technical departments is maintained to avoid duplication of efforts.

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की पंखों की उत्पादन क्षमता

1603. **श्री सिकन्दर बख्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की पंखों की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० के० थुंगन) : एम० आई० एल० की दिल्ली स्थित इकाई में पंखों के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 60,000 नग प्रति वर्ष है ।

कैंटीन स्टोर्स-विभाग द्वारा पंखों की खरीद

1604. **श्री सिकन्दर बख्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा खरीदे गए पंखों के संबंध में ब्यौरा क्या है और उन विभिन्न कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिनसे इन पंखों को खरीदा गया था और प्रत्येक कम्पनी से किस-किस मूल्य पर कितने-कितने पंखे खरीदे गए थे ;

(ख) इन पंखों को खरीदे जाने के लिए कौन-कौन से मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ग) क्या विभाग को इस बात की जानकारी है कि उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी पंखों का निर्माण करता है ; यदि हां, तो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड से पंखों के न खरीदे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या पिछले कई वर्षों से स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड निरन्तर कैंटीन स्टोर्स विभाग से अपने पंखों की आपूर्ति के लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए उनको आवेदन करता रहा है ; यदि हां, तो उसे कब तक आर्डर दे दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कैंटीन स्टोर विभाग से यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को पंखों सहित जिस किसी नई मद या ब्राण्ड/मॉडल को बेचने के लिए दिया जाता है उसे विस्तृत रूप से निर्धारित मानदण्ड पूरे करने होते हैं और ये मानदण्ड मुख्यतः सामान की लोकप्रियता, आपूर्तिकर्त्ता की हैसियत और प्रतिष्ठा, सामान की गुणता, बिक्री के बाद उस मद की सेवा अच्छी बनी रहे इसके लिए की गई व्यवस्था, उस सामान की अनिवार्यता, ग्राहकों की संख्या, कैंटीन स्टोर विभाग में उपलब्ध सामानों से